

2023/177

फर्द अहकाम

(नियम 26)

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.), मुकाम-सिरोही(राज.)

प्रार्थी

1. श्री भंवरलाल पुत्र श्री रामाजी  
जाति धांची आयु 45 वर्ष नि. कृष्णापुरी  
गली न 2 तहसील व जिला सिरोही

अप्रार्थीगण

बनाम 1. श्री रामाजी पुत्र श्री धुडाजी आयु 75 वर्ष  
जाति धांची नि. कृष्णापुरी गली न 2  
तहसील व जिला सिरोही  
व अन्य-8

08/01/24  
2/2/24

किस्म मुकदमा,

रा.प्रा.पत्र. अ.धारा 212 आर.टी.एक्ट

रा.प्रा.पत्र सं. 185/2023

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम को तामील में जारी हुये
03-10-23	<p>प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह रा.प्रा.पत्र अ.धारा 212 आर.टी.एक्ट का विरुद्ध अप्रार्थीगण का हमारे समक्ष इस न्यायालय में पेश किया। हमने उक्त रा.प्रा.पत्र व संलग्न दस्तावेजात प्रतियों का अवलोकन किया तथा उस पर मनन किया तो हम उक्त रा.प्रा.पत्र में अंकित तथ्यों से प्रथम दृष्टियों आश्वस्त होने से दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी हो। मिसल आयन्दा वास्ते इन्तजार तामिली व जवाब अप्रार्थीगण हेतु दिनांक 07-11-2023 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">SSR सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) सिरोही</p>	1709-1717 3/10/23
7/11/23	<p><b>अधिवक्ता उपस्थित।</b> <b>राज साहब नि.ध.पु. 2023 में व्याप्त है।</b> <b>रा.पत्रावली इलतबा होकर दिनांक</b> <b>08/01/24 को पेश हो।</b></p>	
8/11/24	<p><b>अधिवक्ता उपस्थित।</b> <b>राज साहब स्थानांतरण हो गया है।</b> <b>रा.पत्रावली इलतबा होकर दिनांक</b> <b>08/11/24 को पेश हो।</b></p>	
09/12/24	<p><del>पत्रावली जेहा डी। वकील जार्जी उप.।</del> <del>जिन्होंने जज्जा को आगे नहीं चलाना नहीं</del> <del>चाहते थे अतः जज्जा को Not Press किया</del> <del>क्योंकि वकील जार्जी द्वारा जज्जा को Not Press</del> <del>नहीं किया जिससे जज्जा को आगे चलाने का कोई</del> <del>बोधिलय नहीं है व जज्जा परिये Not Press</del> <del>कार्रवाई नहीं जाता है।</del></p> <p style="text-align: right;">सहायक कलेक्टर सिरोही (राज०)</p>	Not press Kingsin